प्राथमिक डिकी मुकदमा इब्तदाई प्राथमिक

(ओ0 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपजिला कलेक्टर वमुकाम टोडाभीम

व इजलास जगदीश आर्य (आर0ए0एस0)

उनवान

टुण्डाराम उम्र 60 वर्ष पुत्र सुखराम जाति बैरवा निवासी खिरखिडी तहसील टोडाभीम जिला करौली

–वादी

विरूद्ध

1.बत्तूलाल पुत्र चिरंजी

2.किशोरी पुत्र चिंरजी

3.सागरबाई पुत्री चिंरजी

4.छोटी पुत्री चिंरजी

5.जानकी पत्नि चिंरजी

समस्त जाति बैरवा निवासी खिरखिडी तहसील टोडाभीम जिला करौली

6.तहसीलदारजी तहसील टोडाभीम (लैण्ड हॉल्डर फोरमल पक्षकार)

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा (पांबदी) व डिविजन ऑफ होल्डिंग व अर्न्तगत धारा 531,188 राज0टे0एक्ट

मु0नं0 दावा 120/2015

तारीख रजू 16.12.2015

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबई श्री राम भरोसी गुप्ता एडवोकेट वादी, श्री सुरेशचंद शर्मा एडवोकेट प्रतिवादीगण मिनकानिब पक्षकारान रूबरू हमारे मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है कि दावा वादी खिलाफ प्रतिवादी नं0 1 ता 5 बावत डिविजन ऑफ होल्डिंग व स्थाई निषेधाज्ञा डिकि किया जाकर भूमि खाता संख्या 48 मे वर्णित खसरा नं0 894 क्षेत्रफल 0.13 हेक्टयर, 895 क्षेत्रफल 0.28 हेक्टयर कुल किता 02 कुल क्षेत्रफल 0.41 एअर ग्राम खिरखिडी तहसील टोडाभीम मे वादी की खातेदारी व

उप जिला कलैक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

कब्जे के अनुसार प्राथमिक डिकि किया जाता है तथा तहसीलदार टोडाभीम को राशि 200 रूपये फीस पर मौका कमिश्नर नियुक्त कर बटवारा स्कीम मय [illegible] के न्यायालय मे प्रस्तुत करे।

निज ....— मुबलिग ....— बाबत् ....— खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह ....— फीसदी सालाना आज की तारीख अदायगी तक ...... का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 24 माह 5 सन् 2018 को जारी की गई।

दस्तखत उप जिला कलेक्टर टोडाभीम (करौली)

....

मुहर ....

ओहदा ....

कार्यालय उपजिला कलेक्टर टोडाभीम (करौली) राज०

सत्यमेव जयते

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दाबा			स्टाम्प अर्जी दाबा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजय सवूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक			मीजान		
मीजान					

नोटः– इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिकि के जरिये दिखाया गया हो या नही दर्ज कराना चाहिए।

उप जिला कलेक्टर
टोडाभीम (करौली)

न्यायालय उपजिला कलेक्टर टोडाभीम (करौली)

पीठासीन अधिकारी
जगदीश आर्य
(आर०ए०एस०)

मु०नं० दावा 120/2015
तारीख रजू 16.12.2015

उनवान

दुण्डाराम उम्र 60 वर्ष पुत्र सुखराम जाति बैरवा निवासी खिरखिडी तहसील टोडाभीम जिला करौली —वादी

विरूद्ध

1.बत्तूलाल पुत्र चिरंजी
2.किशोरी पुत्र चिरंजी
3.सागरबाई पुत्री चिरंजी
4.छोटी पुत्री चिरंजी
5.जानकी पत्नि चिरंजी
समस्त जाति बैरवा निवासी खिरखिडी तहसील टोडाभीम जिला करौली
6.तहसीलदारजी तहसील टोडाभीम (लैण्ड हॉल्डर फोरमल पक्षकार)

—प्रतिवादीगण

दावा बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा (पांबदी) व डिविजन ऑफ होल्डिंग व अर्न्तगत धारा 53,188 राज0टे0एक्ट

उपस्थिति — श्री रामभरोसी गुप्ता एडवोकेट —वादी
श्री सुरेशचंद शर्मा एडवोकेट — प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांक 24.5.18

संक्षेप्त मे वादपत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने एक वादपत्र इस आशय का पेश किया है कि भूमि खाता संख्या 48 मे वर्णित खसरा नं0 894 क्षेत्रफल 0.13 हेक्टयर, 895 क्षेत्रफल 0.28 हेक्टयर कुल किता 02 कुल क्षेत्रफल 0.41 एअर ग्राम खिरखिडी तहसील टोडाभीम मे स्थित है। इस भूमि मे वादी हिस्सा 1/2 का खातेदार काश्तकार है तथा हाल रेवन्यू रिकार्ड जमाबंदी मे भी हिस्सा 1/2 की खातेदारी दर्ज है बकिया हिस्सा 1/2 की प्रतिवादीगण के नाम दर्ज है। भूमि वर्णित मद नं0 1 वादपत्र के वादी व प्रतिवादीगण सहखातेदार है। वादी व प्रतिवादीगण ने अपनी काश्त की सहुलियत की दृष्टि से भूमि का मौके पर आपसी सहमति से बटवारा कर रखा है तथा वादी खसरा नं0

उप जिला कलेक्टर

895 मे पहाड की तरफ तथा रोड निकल रहा है काश्त कर रहा है तथा काबिज है [illegible] भूमि को प्रतिवादीगण काश्त कर रहे है लेकिन शामिल मे खाता होने की वजह से आपस मे डौलमेड व विक्रय आदि करने पर विवाद बना रहता है तथा रिलिफ चाही है कि दावा वादी खिलाफ प्रतिवादी नं0 1 ता 5 बावत डिविजन ऑफ होल्डिंग डिकि किया जाकर भूमि खाता संख्या 48 मे वर्णित खसरा नं0 894 क्षेत्रफल 0.13 हेक्टयर, 895 क्षेत्रफल 0.28 हेक्टयर कुल किता 02 कुल क्षेत्रफल 0.41 एअर ग्राम खिरखिडी तहसील टोडाभीम मे वादी हिस्सा 1/2 का मुताबिक कब्जा वादी अलग खाता व लगान कायम किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे।

वादी का दावा दर्ज रजिस्टर कर सम्मन प्रतिवादीगण जारी हुये। प्रतिवादीगण की तरफ से उनके वकील उपस्थित हुये तथा जबावदावा पेश किया और कथन किया कि वादी ने दावा गलत पेश किया है खारिज किया जावे। इस भूमि का वादी हिस्सा 1/2 का रिकार्डेड खातेदार है तथा बकिया हिस्सा के प्रतिवादीगण सहखातेदार हैं। दावा डिविजन ऑफ होल्डिंग का है इसलिये मुताबिक खातेदारी जमाबंदी व कब्जा अनुसार वादी का दावा डिकि किये जाने योग्य पाया जाता है।

अतः दावा वादी खिलाफ प्रतिवादी नं0 1 ता 5 बावत डिविजन ऑफ होल्डिंग व स्थाई निषेधाज्ञा डिकि किया जाकर भूमि खाता संख्या 48 मे वर्णित खसरा नं0 894 क्षेत्रफल 0.13 हेक्टयर, 895 क्षेत्रफल 0.28 हेक्टयर कुल किता 02 कुल क्षेत्रफल 0.41 एअर ग्राम खिरखिडी तहसील टोडाभीम मे वादी की खातेदारी व कब्जे के अनुसार प्राथमिक डिकि किया जाता है तथा तहसीलदार टोडाभीम को राशि 200 रूपये फीस पर मौका कमिश्नर नियुक्त कर बटवारा स्कीम मय ट्रेस के न्यायालय मे प्रस्तुत करे। पर्चा प्राथमिक डिकि जारी होवे।

निर्णय आज दिनांक 24.5.18 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया एवं हस्ताक्षरित किया गया।

(जगदीश आर्य)
उप जिला कलेक्टर
टोडाभीम (करौली)
उपजिला कलक्टर, टोडाभीम

जिला कलेक्टर (करौली) राज०

Scanned by CamScanner